ऑन लाईन नं.GCMS2023/156

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 60 / 2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अजय कुमार पुत्र हजारी लाल —(खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक)—
मै0 अजय श्री ट्रेडर्स, मेन बाजार, रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51/52/58

निर्णय दिनांक : 24.05.2024

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः—एफएसएसए / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः— आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.03.2023 को दोपहर बाद 4.00 पीएम को **मै** अजय श्री ट्रेडर्स, मने बाजार रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **अजय कुमार पुत्र श्री हजारी लाल (खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक), को अपना परिचय देकर निर्माण संस्थान पर रखे हुए खाद्य पदार्थ श्रद्वा घी (गाय) के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया। तथा संस्थान में रैक पर रखे 15 जार शील्ड खाद्य पदार्थ श्रद्वा घी (गाय) 200—200 ग्राम के आमजन** के बेचान वास्ते होना बताया। **जिसमें** मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **श्रद्वा घी (गाय)** नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि वास्ते विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **श्रद्वा घी (गाय)** 4 मूल 200 ग्राम शील्ड पैक के विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **श्रद्वा घी (गाय)** का नगद भुगतान 440 / — रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **अजय कुमार पुत्र श्री हजारी लाल** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **अजय कुमार पुत्र श्री हजारी लाल** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/156

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **श्रद्वा घी (गाय)** 800 ग्राम 4 मूल 200 ग्राम शील्ड पैक को लेकर चारों डिब्बो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1739** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1739** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं मालिक तथा **अजय कुमार पुत्र श्री हजारी लाल** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट **K-1739** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 453 / एक्ट / 2023 / 453 दिनांक 10.04.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1739 **Sub-standard Food as it is not derived exclusively from Milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does nto match with the fatty acid profile of Ghee.) and it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample is contravenes Regulation No.2.3.7(2) of Food Safety and Standards(Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations,2011 Due to presence of Foreign Fat. The Sample is also Misbranded Food Under Secation 3(1)(zf)(c)(i) pf Food Safety and Standards Act-2006.** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अजय कुमार पुत्र हजारी लाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **मै0** अजय श्री ट्रेडर्स, मने बाजार रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा **sub-standard Food & Misbranded Food, Cow Ghee (Shraddha Brand)** का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51/52/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.07.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जवाब पेश नहीं किया एवं बहस हेतु निवेदन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **श्रद्वा घी (गाय)** का सैम्पल **K-1739** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/453/एक्ट/2023/453 दिनांक 10.04.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1739 **Sub-standard Food as it is not derived exclusively from Milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does nto match with the fatty acid profile of Ghee.) and it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample is contravenes Regulation No.2.3.7(2) of Food Safety and Standards(Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations,2011 Due to presence of Foreign Fat. The Sample is also Misbranded Food Under Secation 3(1)(zf)(c)(i) pf Food Safety and Standards Act-2006.** होना पाया गया। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52,58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी य कुमार पुत्र हजारी लाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **मै0** अजय श्री ट्रेडर्स, मने बाजार रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी की **मै0** अजय श्री ट्रेडर्स, मने बाजार रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी की संस्थान (दुकान) से श्रद्वा घी (गाय) का सैम्पल लिया गया कि आपकी संस्थान (दुकान) में श्रद्वा घी (गाय) की जांच की गई तो श्रद्वा घी (गाय) **sub-standard Food & Misbranded Food,** पाया गया है। जबकि स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा श्रद्वा घी (गाय) के सैम्पल की जांच **Fatty acid Profile by AOAC 999.06 GC FID Method** से की गई है जो कि जुलाई 2024 से लागू होती है। मगर मेरा सैम्पल की जांच 10.04.2023 को की गई जो इस सैम्पल पर लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थी से लिया गया सैम्पल को निरस्त किया जाकर परिवाद को दाखिल दफ्तर किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Ghee(Shraddha Brand)" bearing Code No and Sr. No. K-1739, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it is not derived exclusively from Milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does nto match with the fatty acid profile of Ghee.) and it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample is contravenes Regulation No.2.3.7(2) of Food Safety and Standards(Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations,2011 Due to presence of Foreign Fat. The Sample is also Misbranded Food**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/156

Under Secation 3(1)(zf)(c)(i) pf Food Safety and Standards Act-2006. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **अजय कुमार पुत्र श्री हजारी लाल** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **अजय कुमार पुत्र श्री हजारी लाल** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 1,50,000–00 (अखरे रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **अजय कुमार पुत्र श्री हजारी लाल** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)